



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 03.04.2024

**थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 105/2024 धारा 498A/313/323/504/506/  
376/376D/377 भादवि, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(v)  
एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21/03/2024 को वादिनी द्वारा थाना नहतौर पर अभियुक्तगण 1.शुभम कुमार पुत्र मनोज कुमार 2.मनोज कुमार पुत्र लाखन सिंह 3.संजय कुमार पुत्र मनोज कुमार 4.रोशी पत्नी संजय कुमार 5. सुभाष पुत्र लाखन समस्त निवासीगण ग्राम मझौला बिल्लोच थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर 6. मुकुल 7. शहजाद नाम व पता नामालूम के विरुद्ध वादिनी को दहेज के लिए



प्रताडित करने व उसके साथ गलत काम करने के संबंध में मु0अ0सं0 105/2024 धारा 498A/313/323/504/506/376/376D/377 भादवि, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कराया गया । दिनांक 26/05/2023 को पीडिता की शादी अभियुक्त शुभम उपरोक्त के साथ हुई थी, जिसका पंजीकरण दिनांक 27/12/2023 को विवाह पंजीकरण कार्यालय गाजियाबाद के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202314018160 पर अंकित है ।

अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही में दिनांक 22.03.2024 को पीडिता का मेडिकल कराया गया व दिनांक 28.03.2024 को पीडिता के धारा 164 सीआरपीसी के कथन अंकित कराए गए ।

### कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 105/2024 धारा 498A/313/323/504/506/376/376D/377 भादवि, धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त शुभम कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम मझौला बिल्लौच थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शुभम कुमार पुत्र मनोज कुमार निवासी ग्राम मझौला बिल्लौच थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 131 शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 1276 राहुल यादव थाना नहतौर जनपद बिजनौर
- 4.आरक्षी 1861 विकास कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट:- थाना शेरकोट**

**दिनांक 03.04.2024**

**थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।**

### **कार्यवाही :-**

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त साजिद पुत्र अय्यूब निवासी मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु०अ०स० 69/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम साजिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-**

साजिद पुत्र अय्यूब निवासी मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

### **बरामदगी विवरण:-**

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### **आपराधिक इतिहास साजिद उपरोक्त:-**

- 1.मु०अ०स० 330/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०स० 48/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०स० 69/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

- 1.उ०नि० श्री जगपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.हे०का० 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 3.का० 986 कृष्ण राणा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक- 03.04.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त सलीम पुत्र शकील निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 70/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सलीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

सलीम पुत्र शकील निवासी ग्राम शहजादपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

### बरामदगी विवरण:-

01 अवैध चाकू

### आपराधिक इतिहास सलीम उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 53/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 70/2024 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री सुभाष कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 418 अरुण कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 03.04.2024

**जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	बढापुर	बुटा सिंह पुत्र सतनाम सिंह नि० ग्राम मधपुरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2	हल्दौर	पम्पी पुत्र चन्द्रपाल नि० ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3	नूरपुर	भूरा पुत्र हमीद नि० ग्राम शहीदनगर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
4	को० शहर	जीत सिंह पुत्र कलवा नि० ग्राम रामपुर ठकरा थाना को० शहर जनपद बिजनौर
5	शेरकोट	जयपाल सिंह पुत्र लाखन सिंह नि० ग्राम भनौटी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6	शेरकोट	ऋषिपाल पुत्र सुरेन्द्र सिंह चौहान नि० ग्राम हरेवली थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7	मंडावर	राजू पुत्र चतर सिंह नि० ग्राम मानशाहपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
8	मंडावर	विपिन कुमार पुत्र सुरेश नि० ग्राम तिसोतरा थाना मंडावर जनपद बिजनौर
9	मंडावर	आरिफ पुत्र मेहन्दी नि० ग्राम मोहिउद्दीनपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
10	किरतपुर	आरिफ पुत्र असकरी नि० ग्राम मेमनसादात थाना किरतपुर जनपद बिजनौर



थाना बढापुर



थाना हल्दौर



थाना नूरपुर



थाना को0 शहर



थाना शेरकोट



थाना मंडावर



थाना किरतपुर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ

दिनांक 03.04.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को 768 ग्राम अफीम, 02 किलो 344 ग्राम अवैध गांजा व अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

### कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थों की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र नरदेव सिंह निवासी अनवरपुर चण्डिका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक की पन्नी में 768 ग्राम अवैध अफीम, 02 किलो 344 ग्राम अवैध गांजा, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, एक मोबाईल रेडमी कम्पनी व एक मोटरसाईकिल प्लेटिना मय फर्जी नंबर प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 111/24 धारा 8/18/20 एनडीपीएस अधि0, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 420/465/470 भादवि पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



उल्लेखनीय है कि अभियुक्त दीपक उपरोक्त थाना धामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 96/24 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर में भी वांछित चल रहा था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. दीपक कुमार पुत्र नरदेव सिंह नि0 अनवरपुर चण्डिका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

### बरामदगी का विवरण-

- 1- 768 ग्राम अवैध अफीम।
- 2- 02 किलो 344 ग्राम अवैध गांजा।
- 3- एक मोबाईल फोन रेडमी कम्पनी।
- 4- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 5- 01 मोटरसाईकिल प्लेटिना मय फर्जी नंबर प्लेट।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपक उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 133/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 96/24 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 492/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

4.मु0अ0सं0 111/24 धारा 8/18/20 एनडीपीएस अधि0, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 420/465/470 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2-हे0का0 758 अमित कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 3-का0 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना नहतौर

दिनांक 03.04.2024

थाना नहतौर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 145/24 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त को चोरी गयी सोलर पैनल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.04.2024 को वादी श्री अनुराग तेवतिया पुत्र रविन्द्र नि0 मौ0 आजमतारा थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा ग्राम रूखडीओ के पास लगे मोबाइल टावर पर रखे सोलर पैनल चोरी कर लिए गए। तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 145/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.प्रिंस कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम पुरैनी दुर्वेशपुर थाना नूरपुर बिजनौर 2.सलमान पुत्र झवरे नि0 ग्राम लोधीपुर मिलक थाना शिवालाकलां बिजनौर 3.राहुल पुत्र रामपाल निवासी ग्राम मडैया थाना नूरपुर बिजनौर 4.विकुल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सैदखेडी थाना धामपुर बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



कार्यवाही-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 145/24 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम पुरैनी दुर्वेशपुर थाना नूरपुर बिजनौर को चोरी गयी 12 सोलर पैनल सहित गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रिंस कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम पुरैनी दुर्वेशपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

1- 12 सोलर पैनल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री ब्रजराज सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

2- हे0का0 359 रविशंकर थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

3- हे0का0 789 रोहित कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

4- का0 2482 अक्षय कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट— थाना कोतवाली शहर

दिनांक 03.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

### कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त आरिफ पुत्र वकील निवासी ग्राम भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 281/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त आरिफ उपरोक्त थाना कोतवाली शहर का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीटर नं0— 91/बी) अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. आरिफ पुत्र वकील निवासी ग्राम भोगनवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

### बरामदगी का विवरण—

1—एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

### आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 15/97 धारा 379 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 16/97 धारा 224 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0 363/97 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर बिजनौर।
4. मु0अ0सं0 481/04 धारा 110जी सीआरपीसी थाना को0शहर बिजनौर।
5. मु0अ0सं0 874/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0शहर बिजनौर।
6. मु0अ0सं0 281/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0शहर बिजनौर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1— उ0नि0 श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2— हे0का0 638 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना धामपुर

दिनांक- 03.04.2024

**थाना धामपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त फईम पुत्र मौ० निसार निवासी मौ० नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धामपुर पर मु०अ०सं० 153/2024 धारा



4/25 आर्म्स एक्ट बनाम फईम उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

फईम पुत्र मौ० निसार निवासी मौ० नई सराय थाना धामपुर जनपद बिजनौर

### बरामदगी विवरण:-

01 अवैध चाकू ।

### आपराधिक इतिहास फईम उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०सं० 51/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु०अ०सं० 81/2024 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 536/2020 धारा 294 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु०अ०सं० 153/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ०नि० राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 645 प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर



**जनपद बिजनौर**

**प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर**

**दिनांक – 03.04.2024**

**थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्टेटिक टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गाडी से 4,48,500/-  
(चार लाख अडतालीस हजार पांच सौ) रूपये की नगदी बरामद की गई।**

### **कार्यवाही –**

लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में बैरियर लगाकर अवैध शराब, नगदी व अन्य अवैध सामाग्री के परिवहन पर पूर्णतया: अंकुश लगाने व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की लगातार सघन चेकिंग के निर्देशन के अनुपालन में थाना कोतवाली शहर क्षेत्रान्तर्गत चौकी हनुमंत पेंदा पर दिनांक 03.04.2024 को चेकिंग के दौरान थाना कोतवाली शहर पुलिस व स्टेटिक टीम द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार रजि0 नं0 UK07BZ-7440 को चेक किया गया तो गाडी से कुल 4,48,500/- रूपये (500 – 500 रूपये के नोटों की कुल 8 गड्डी व 200 – 200 रूपये के नोटों की 1 गड्डी एवं 500 -500 रूपये के कुल 57 नोट) की नगदी बरामद की गई। गाडी को शावेज पुत्र मौ0 असलम निवासी मौ राईयान कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर चला रहा था। कार चालक द्वारा बरामद नगदी के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और न ही कोई वैध प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। चेकिंग टीम द्वारा बरामद नगदी को नियमानुसार कब्जे में लिया गया तथा आयकर विभाग को सूचना दी गयी। इस सम्बन्ध में अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

### **बरामदगी –**

4,48,500/- रूपये की नगदी (500 – 500 रूपये के नोटों की कुल 8 गड्डी व 200 – 200 रूपये के नोटों की 1 गड्डी एवं 500 -500 रूपये के कुल 57 नोट)

### **बरामदगी करने वाली टीम –**

1. स्टेटिक मजिस्ट्रेट श्री कुशलपाल सिंह जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी 1641 कृतपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4. आरक्षी 1715 परवेश कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5. कैमरामैन जग्गू पंचायत विभाग थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।